प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2019

विषयः- ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित तालाबों/जल स्रोतों को प्रदूषण रहित करने के संबध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत जल संचयन एवं संरक्षण के संबध में निर्गत शासनादेश संख्या- 1475/38-7-2019-407नरेगा/2010टीसी दिनांक 21 जून, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-7 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के निकट तालाबों के किनारे पक्का घाट, मवेशियों को पीने योग्य पानी तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये उपयोगी बनाया जाये।

2- आप अवगत ही हैं कि आबादी के निकट तालाबों का उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा सामाजिक कार्यों तथा भू-गर्भ जल रिचार्ज के साथ पशुओं हेतु पेयजल के रूप में किया जाता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षे में आबादी के निकट योजनान्तर्गत निर्मित तालाबों में घरेलू एवं सामुदायिक तरल अपशिष्ट पदार्थो (ग्रे वाटर) का ग्राम स्तर पर उचित प्रबन्धन किया जाये जिससे तरल अपशिष्टों का निस्तारण तालाब में ना हो, इससे तालाबों का जल प्रदूषित नही होगा तथा वह मवेशियों एवं अन्य कार्यों के प्रयोग में भी लाया जा सकेगा तथा भूगर्भीय जल भंडारण भी प्रदूषित न्हीं होगा।

3- उपर्युक्त के अनुक्रम में यह आवश्यक है कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निर्मित तालाबों में गांव के गंदे पानी को रोकने हेतु गांव के घरेलू/सामुदायिक तरल अपशिष्टों(ग्रे वाटर) का उचित प्रबन्धन मनरेगा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अनुमन्य कार्यों से किया जाये। अतः इस संबंध में निम्नानुसार ग्रे वाटर के प्रबन्धन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मनरेगा योजनान्तर्गत नियमानुसार गंदे पानी के प्रबन्धन की दिशा में कार्यवाही की जायः-

(क) **<u>घरेलू ग्रे वाटर का प्रबन्धन-</u>**

गांवों में ज्यादातर ग्रे वाटर घरेलू स्तर पर उत्पन्न होता है जब यह पानी घर से निकल कर गांव की नालियों में आता है तो यह सामुदायिक ग्रे पानी बन जाता है, और यही गंदा पानी नालियो के माध्यम से गांव के तालाब में एकत्रित होकर तालाबों के जल को प्रदूषित करता है क्योंकि सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर का प्रबन्धन अधिक जटिल कार्य है अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक परिवार द्वारा स्रोत पर ही ग्रे पानी का निस्तारण किया जाय। इस हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न कार्य अनुमन्य है-

1. **सोकपिट (सोख्ता चैनल/गढ्ढों का निर्माण)-** घरेलू ग्रे-वाटर के प्रबन्धन हेतु लगभग 03 फीट लम्बाई, 03 फीट चैड़ाई तथा 03 फीट की गहराई में मिट्टी में एक घनाकार पिट खोदा जाता है। पिट को निर्धारित आकार के पत्थर के टुकड़ों से भर दिया जाता है। शीर्ष पर पिट को सहायक सामग्री जैसे पेड़ की टहनी या बोरी आदि से ढक दिया जाता है तथा उसके ऊपर रेत बिछा दी जाती है जिससे अंदर आने वाला पानी खुला न रहे।

(ख) **सामुदायिक ग्रे वाटर का प्रबन्धन-**

गांवों में घरेलू स्तर का पानी घर से निकल कर गांव की नालियों में आता है तो यह सामुदायिक ग्रे पानी बन जाता है, मनरेगा योजनान्तर्गत निम्न अनुमन्य कार्य द्वारा सामुदायिक ग्रे वाटर का प्रबन्धन किया जा सकता है-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. सामुदायिक सोकपिट (सोख्ता चैनल/गढ्ढ़ों का निर्माण)- घनी आबादी क्षेत्रों में, जहॉ कभी-कभी घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी होती है, घरेलू स्तर पर ग्रे-वाटर का प्रबन्धन करना संभव नही हो पाता है। ऐसी स्थिति में घरेलू ग्रे वाटर घर से बाहर जाता है। जिससे घरेलू ग्रे वाटर का संचय हो सकता है, इसके संग्रहण हेतु
नाली बनाकर खुले स्थान में या गांव के बाहर सामुदायिक सोकपिट का निर्माण किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों यथा- वाटर स्टैड पोस्ट, हैंड पम्प, सार्वजनिक कुआं आदि में ओवर फ्लो से ग्रे-वाटर उत्पन्न होता है। यह ग्रे-वाटर सामान्यतः स्वच्छ होता है, परन्तु इसका भी समुचित प्रबन्धन किये जाने की आवश्यकता है, इस हेतु इन स्रोतों पर सोकपिट का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

4- अतः कृपया ग्रामीण आबादी के निकट बनाये गये/स्थित तालाबों को प्रदूषण से बचाने हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों की अनुमन्यता की सीमा तक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की दिशा में उपरोक्तानुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21/2019/ 2480(1)/अड़तीस-7-2019 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई लघु सिंचाई एवं भूगर्भजल उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. अपर आयुक्त,मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।